प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:– ९-४/7/105(खसरा)/ दिनांक: 12 फरवरी, 2021

विषय:– राजस्व संहिता की धारा– 30(1) एवं राजस्व संहिता नियमावली'2016 के नियम–25 के अनुसार क्षेत्रिक पंजी (भू–लेख खसरा प्रपत्र संख्या–4) को संशोधित कर आर सी प्रपत्र–4क को कम्प्यूटरीकरण किये जाने की प्रकिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनसामान्य की सुविधा के लिए भू–अभिलेखों एवं सेवाओं को पारदर्शी एवं सुगम तरीके से उपलब्ध कराने हेतु शासन व राजस्व परिषद द्वारा लगातार प्रयासों के कम में राजस्व संहिता की धारा– 30(1) एवं राजस्व संहिता नियमावली'2016 के नियम–25 के अनुसार क्षेत्रिक पंजी (भू–लेख खसरा) के आर सी प्रपत्र–4 को संशोधित कर उसका कम्प्यूटरीकरण किये जाने की प्रकिया निम्नवत निर्धारित की जाती है।

राजस्व संहिता नियमावली–2016 में दिये गये प्रारूप आर0सी0प्रपत्र–4 को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर अब नया प्रारूप आर0सी0 प्रपत्र–4क रख दिया गया है।

(i)– फसली वर्ष 1428 से पूर्व के वर्षो की क्षेत्रिक पंजियों (खसरों) का रख–रखाव आर0सी0 प्रपत्र 4 में ही किया जायेगा तथा उन्हें इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार अनुरक्षित व संरक्षित किया जायेगा ।

(ii)– जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू था। उन क्षेत्रों में फसली वर्ष 1428 व उसके बाद क्षैत्रिक पंजियों (खसरों) का रखरखाव निर्धारित प्रारूप आर0सी0 प्रपत्र 4क में कम्प्यूटरीकृत स्वरूप में किया जायेगा। फसली वर्ष की समाप्ति के उपरान्त खसरा प्रविष्टियों को अपरिवर्तनीय बनाते (फ्रीज करते) हुए क्षैत्रिक पंजियों (खसरों) की प्रति पी0डी0एफ0 अथवा अन्य किसी अपरिवर्तनीय फार्मेट में परिषद स्तर पर राज्य डाटा केन्द्र अथवा शासकीय इलेक्ट्रानिक क्लाउड जैसे मेघराज आदि में शाश्वत रूप से संरक्षित की जायेगी तथा उसकी एक मुद्रित प्रति अभिलेखार्थ तहसील स्तर पर भी 12 वर्ष तक संरक्षित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

(iii)– कम्प्यूटीकृत(डिजिटल) स्वरूप में क्षैत्रिक पंजी (खसरा) के रखरखाव हेतु निम्न प्रारूप में किया जायेगा।

आर0सी0–प्रपत्र–4क

भाग–01– गाटे का विवरण–(कॉलम संख्या 01 से 05)–

खसरा/ गाटा संख्या	गाटे का यूनिक कोड	क्षेत्रफल (हे0)	खाता खतौनी संख्या	खतौनी के स्तम्भ 02 में अंकित खातेदार का नाम
1	2	3	4	5

भाग–02– फसल व सिंचाई के साधन का विवरण – (कॉलम संख्या 06 से 20)–

खरीफ (2ख)					रबी (2र)					जायद (2जा)				
फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

भाग–03–दैवी आपदा व कृषि अवषिष्ट निस्तारण का विवरण–(कॉलम संख्या 21 से 26)–

फसल	क्या दैवी आपदा में फसल को क्षति हुई है	दैवी आपदा का प्रकार	आपदा से प्रभावित क्षेत्रफल	क्षति का विवरण	कृषि अवशिष्ट निस्तारण (पराली जलायी गयी अथवा नहीं)
21	22	23	24	25	26

भाग–04– वृक्षों का विवरण– (कॉलम संख्या 27 से 28)–

गाटों में वृक्षों की प्रजाति	गाटों में वृक्षों की संख्या
27	28

Scanned with CamScanner

भाग–05– गैर कृषिक भूमि का विवरण –(कॉलम संख्या 29 से 34)–

स्तम्भ 29–क्या भूमि अथवा उसका कोई भाग धारा 143 UP.Z.A.L.R.Act 1950/धारा 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम–2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित हुई है–हॉ/नहीं				
गैर कृषिक उपयोग का प्रकार	गैर कृषिक उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल	गैर कृषिक घोषित क्षेत्रफल	गैर कृषिक घोषित करने की वाद/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	गैर कृषिक घोषित करने के आदेश का दिनांक
30	31	32	33	34

भाग–06– लीज का विवरण–(कॉलम संख्या 35 से 41)–

स्तम्भ 35– क्या भूमि अथवा किसी भाग को लीज/पट्टे पर दिया गया है– हॉ/नहीं					
पट्टे का प्रकार	क्षेत्रफल	पट्टा धारक का नाम	पट्टा धारक का पता	पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि	पट्टा समाप्तहोने की तिथि
36	37	38	39	40	41

भाग–07–दो फसली क्षेत्रफल व अकृषित भूमि का विवरण–(कॉलम संख्या 42 से 45)–

4 क–दो फसली क्षेत्रफल (भूमि जिसपर एक से अधिक फसलें बोयी गयी हों)		4 ख–अकृषित भूमि (ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसपर फसल नहीं बोयी गयी)	
असिंचित	सिंचित	भूमि का वर्ग	क्षेत्रफल हे0
42	43	44	45

भाग–08– विशेष विवरण–(कॉलम संख्या 46)–

5–विशेष विवरण
46

खसरा (क्षेत्र–पंजी) तैयार करना –

भूलेख विनियमावली के अध्याय ''क–5'' एवं राजस्व संहिता नियमावली–2016 में दिये गये खसरा प्रपत्र के स्थान पर अब उपरोक्त संशोधित खसरा आर0सी0 प्रपत्र–4क पर भरा जायेगा।

आर0सी0 प्रपत्र–4क में लेखपाल समय–समय पर सीमाओं के सब परिवर्तनों और ऐसी सब बातों को जिनकी आवश्यकता खतौनी या कृषि आकड़े तैयार करने के लिए होती है, उल्लेख करेगा। विनियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय पड़ताल की जायेगी तथा निम्न निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन भरा जायेगा।

Scanned with CamScanner

(1) राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 द्वारा विहित मानचित्र और खसरा अनुरक्षित रखने के लिए लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक खेत का प्रतिवर्ष तीन बार खरीफ, रबी व जायद में निरीक्षण (पड़ताल) करेगा। उसके दौरे क्रमशः 10 अगस्त से 30 सितम्बर, 15 अक्टूबर से 28 फरवरी व तीसरा 15 अप्रैल से 31 मई के भीतर पूरा किया जायेगा।

(2) खसरे का भाग–1 व भाग–2 प्रथम क्षेत्रीय पड़ताल के समय 10 अगस्त से 30 सितम्बर के बीच, भाग–3 दैवी आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार, भाग–4, 5 व 6, 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के मध्य एवं भाग–7 जायद की पड़ताल के साथ भरा जायेगा। भाग–8, विशेष विवरण कभी भी भरा जा सकेगा।

(3) ऑनलाइन खसरा भरने के लिये लेखपाल, सर्वप्रथम राजस्व परिषद की वेबसाइट (bor.up.nic.in) के मुखपृष्ठ पर दिये गये "भू–लेख खसरा" लिंक पर उपलब्ध "भूलेख खसरा लॉगिन" लिंक पर जाकर लेखपाल हल्का लॉगिन से साफ्टवेयर में प्रविष्ट होगा। इसके पश्चात जिला, तहसील, ग्राम का नाम, फसली वर्ष व फसल (खरीफ/रबी/जायद) का चुनाव करेगा। तत्पश्चात खसरा प्रारूप के द्वारा फसल (खरीफ/रबी/जायद) के अनुसार भरे जाने वाले खसरे का प्रारूप (खसरा प्रारूप खरीफ/रबी/जायद) चुनेगा। फिर प्रारूप का प्रिन्ट आऊट निकाल कर पड़ताल करेगा और पड़ताल में पायी गयी प्रविष्टियों को खसरा प्रविष्टी के द्वारा खसरे में अंकन कर अपलोड करेगा।

(4) प्रविष्टि के लिये खसरा संख्या चुनने पर यदि खसरे के एक से अधिक विभाजन हुये हैं तो प्रत्येक विभाजित खसरे के लिये अलग–अलग प्रविष्टियाँ अंकित की जायेंगी। प्रत्येक खसरे की पहचान के लिये उसका यूनिक गाटा कोड भी प्रदर्शित किया जा रहा है।

(5) खसरे को 08 भागों में निम्न प्रकार बांटा गया है–

- 5.1– भाग–01–गाटे का विवरण
- 5.2– भाग–02–फसल व सिंचाई के साधन का विवरण
- 5.3– भाग–03–दैवी आपदा व कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण
- 5.4– भाग–04–वृक्षों का विवरण
- 5.5– भाग–05–गैर कृषिक भूमि का विवरण
- 5.6– भाग–06–लीज का विवरण
- 5.7– भाग–07–दो फसली क्षेत्रफल व अकृषित भूमि का विवरण
- 5.8– भाग–08–विशेष विवरण

सर्वप्रथम भाग–01 व तत्पश्चात भाग–02 में प्रविष्टी किये जाने के पश्चात ही भाग–03 से 08 की प्रविष्टि की जा सकेगी।

(6) **<u>भाग–01:– स्तम्भ 01 से 05– गाटे का विवरण–</u>**

खसरा/गाटा संख्या	गाटे का यूनिक कोड	क्षेत्रफल (है0)	खाता खतौनी संख्या	खतौनी के स्तम्भ 02 में अंकित खातेदार का नाम
1	2	3	4	5

इनमें खतौनी के अनुसार गाटे से सम्बंधित विवरण यथा गाटे का यूनिक कोड, गाटे का क्षेत्रफल व स्वामित्व का विवरण आदि विवरण गाटा संख्या चुनते ही, खसरे की प्रविष्टियॉ भू–लेख खतौनी से स्वयं ही प्रविष्ट हो जायेंगी।

6.1– स्तम्भ 4 की प्रविष्टियां चालू वर्ष की खतौनी से की जायेंगी। उस दशा के अतिरिक्त जब इस संबंध में किसी सक्षम अधिकारी ने आदेश दिया हो और चालू वर्ष की खतौनी के स्तम्भ 7 और 8 में पहले से उसका आदेश अभिलिखित हो, लेखपालों को कोई भी परिवर्तन करने का निषेध है।

स्पष्टीकरण–खातेदार शब्द के अन्तर्गत फलों और फूलों का पट्टेदार या क्रेता नहीं आता है, जिसको अभ्युक्ति के स्तम्भ में ही उसके पट्टे के संक्षिप्त व्यौरे के साथ दिखाया जाना चाहिए।

6.2– खतौनी में अभिलिखित खातेदार के बारे में यह पता चले कि वह मर गया है तो लेखपाल अभ्युक्ति/विशेष विवरण के स्तम्भ में पहिले "मुतवक्फी" या "मृत" अभिलिखित करके मृतक का नाम और उसकी मृत्यु का दिनांक उसमें लिख देगा, और यदि उस मृतक के उत्तराधिकारियों के नाम तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में अभिलिखित न हो जायें।

6.3– यदि खतौनी में अभिलिखित किसी खातेदार के बारे में लेखपाल को यह पता चले कि खातेदार की मृत्यु से भिन्न किसी कारण से वह उस पर काबिज नहीं रहा तथा कोई अन्य व्यक्ति भी यदि उस पर काबिज न पाया जाय तो विशेष विवरण के स्तम्भ में खेत के बिना कृषि के पड़े रहने के कारण यथास्थिति प्रत्यर्पण, परित्याग, लापता हो जाने आदि के रूप में संक्षेप में व्यक्त किये जायेंगे।

(7) **भाग–02 – स्तम्भ 06 से 20 – फसल व सिंचाई के साधन का विवरण** – इन स्तम्भों में फसलवार (खरीफ, रबी व जायद) प्रविष्टियॉ निम्न प्रकार की जायेगी–

खरीफ (2ख)					रबी (2र)					जायद (2जा)				
फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

7.1 खरीफ के लिये कॉलम 06 से 10

7.2. रबी के लिये कॉलम 11 से 15

7.3. जायद के लिये कॉलम 16 से 20

7.4– स्तम्भ 06 से 20 तक खरीफ/रबी/जायद में बोयी गयी फसल का प्रकार

क्रमशः Drop down विकल्पों–

खरीफ(2ख) के लिये –{ज्वार, बाजरा, ज्वार अरहर, बाजरा अरहर, धान –अधिक उपज वाला, धान –बासमती, धान – अन्य, मक्का, मढ़वा, कोदो व् कोदो अरहर, सांवा, काकुन, कुटकी, अन्य धान्य, दाल अरहर, दाल उर्द, दाल मूंग, दाल मोठ, दाल लोबिया,

Scanned with CamScanner

अन्य दाल, ईख बोई हुई, ईख पेड़ी, तरकारी, शकरकंद, तरकारी भिण्डी, अन्य तरकारियां, मिर्ची, हल्दी, अदरक, अन्य किराना व मसाला, अन्य विविध खाद्य पदार्थ, कपास अरहर, कपास, सनई तन्तु के निर्मित, सनई अन्य रेशेदार उपज, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, अन्य खाने योग्य तिलहन, रेड़ी, अन्य न खाने योग्य तिलहन, औषधियां व नशीले पदार्थ, ज्वार, मक्का, बाजरा (चारा), दलहनी चारे (लोबिया ज्वार), अन्य चारा, हरी खाद सनई, हरी खाद ढैंचा, अन्य हरी खाद, ढैंचा बीज के निमित्त, अन्य अखाद्य पदार्थ, अन्य स्रोत एवं एम० पी० चरी व मकचरी} में से–

रबी(2र) के लिये–{ गेहूँ देशी, गेहूँ अधिक उपज वाला, गेहूँ चना, गोजई, जौ, बेझड़, मक्का, अन्य धान्य, चना, मटर, मसूर, अन्य दालें, आलू, प्याज, शलजम, गाजर, मूली, गोभी (फूल), बैंगन, पात गोभी, सब्जी वाली मटर, टमाटर, अन्य तरकारियाँ (भूमि के नीचे उपजने वाली जो भी सम्मलित हैं), लहसुन, धनिया, सौंफ, मेथी, अन्य किराना मसाला, अन्य विविध खाद्य पदार्थ, लाही, सरसों, तारामीरा तोरिया, सूरजमुखी, अन्य खाने योग्य तिलहन तथा कुसुम आदि, अलसी, अन्य न खाने योग्य तिलहन, तम्बाकु (कलकतियां व देशी), अफीम, अन्य औषधियां व नशीलें पदार्थ, वरसीम, लहसुन अन्य दलहनी, मेथी, मटर आदि, जई, अन्य चारा (नाम सहित), गेंदा, ग्लेडियोलस, अन्य पुष्पीय फसल, योग पुष्पीय एवं विविध अखाद्य पदार्थ} में से तथा

जायद(2जा) के लिये {मक्का, चेना या सावाँ, धान, अन्य धान्य, दाल मूंग, दाल उरद, अन्य दालें, खरबूजा, आम, अमरुद, नीबू, नारंगी आदि, कटहल, पपीता, केला, आंवला, तरबूज, लीची, अन्य फल, प्याज, टमाटर, भिण्डी, मूली, लोबिया, कद्दू, पेठा (कुम्हड़ा), करेला, तुरई, लौकी, परवल, अरबी या घुइयाँ, अन्य तरकारियाँ, किराना व मसाला, विविध खाद्य पदार्थ, तम्बाकू (कलकतिया व देशी), मैथा अन्य औषधि व नशीले पदार्थ, सूरजमुखी तिलहन, कई कटाई वाली ज्वार, मक्का व बाजरा, दलहन आदि लोबिया, गवार, अन्य चारा व बहुवर्षीय घास, गुलाब, अन्य पुष्पीय फसल एवं विविध अखाद्य पदार्थ} में से चुनकर तथा असिंचित व सिंचित क्षेत्रफल तथा अपनाये गये सिंचाई का साधन का विवरण(यथा नहर, नदी, तालाब, कुंआ, सरकारी ट्यूबवेल, बोरिंग निजी (डीजल), बोरिंग निजी (विधुत), रहट, हैंडपंप सरकारी, हैंडपंप निजी, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई व अन्य) **Drop down** विकल्पों में से अंकित किया जाना है।

7.5– यदि किसी खेत में सिंचाई की जाती हो तो सिंचाई की रीति और उसके साधन का उल्लेख इस स्तम्भ में किया जायेगा। यदि किसी खेत में सिंचाई के एक से अधिक साधन प्रयोग होते हैं तो ''सिंचाई विधि जोड़ें के माध्यम से सिंचाई के साधन को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि **Drop down** में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अन्य विकल्प चुनकर उस विवरण की प्रविष्टि की जा सकती है।

7.6– यदि कोई नया पक्का कुआं बनवाया गया हो और वर्ष के भीतर सिंचाई या पीने का पानी भरने के लिये काम में आने लगा हो तो लेखपाल इस स्तम्भ में शब्द ''नया कुआं'' लिखेगा।

7.7– सागर या जलाशय(रिजरवायस) और तालाब इत्यादि –सागरों की प्रविष्टि केवल हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन और मिर्जापुर जिलों में और आगरा तथा इलाहाबाद जिलों के उन भागों में ही, जो यमुना नदी के दक्षिण में स्थित हैं, किया जायेगा। इन जिलों में **''सागर या जलाशय''** से आशय ऐसा रोका हुआ पानी है जो किसी गहरी भूमि के चारों ओर या पानी के निकास के मार्ग में एक स्थायी बन्ध बांध कर सिंचाई के प्रयोजनों के लिये जमा किया जाता है।

Scanned with CamScanner

टिप्पणी—यदि नहरें किसी सागर (रिजरवायर्स) से निकलती है तो उससे सींचा गया क्षेत्र नहरों से सींचा गया क्षेत्र के रूप में माना जायेगा। यदि खेतों में पानी सीधे सागर (रिजरवायर्स) से लिया जाता है तो क्षेत्र सागर (रिजरवायर्स) से सींचा गया माना जायेगा।

7.8— फसलों की प्रविष्टियां—यदि किसी खेत के अलग—अलग भागों में भिन्न—भिन्न फसलें बोई गई हों तो ऐसे प्रत्येक भाग को और उसके क्षेत्रफल को अलग—अलग दिखाया जाना चाहिये। यदि किसी क्षेत्र में दो या अधिक फसलें एक साथ मिलाकर बोई गई हों तो प्रविष्टियां, ऐसे कुल क्षेत्र के संबंध में की जायेंगी।

7.9— प्रविष्टि की हुई फसलों के नाम तत्संबंधी मौसम के लिये तैयार किये गये फसल के विवरण—पत्र के शीर्षक के अनुसार होंगे। जब किसी फसल या मिली—जुली फसलों (mixture of crop) के नाम फसल के (drop down) में उपलब्ध हों तो ऐसी फसल या मिली—जुली फसल के नाम की प्रविष्टि कर देना पर्याप्त है और उसके साथ बोई गई अन्य गौण फसलों का नाम लिखना आवश्यक नहीं है। जब कोई ऐसी फसल या फसलें बोई गई हों जिनका उल्लेख फसल के (drop down) में उपलब्ध नहीं हो तो उसका पूरा नाम या उनके पूरे—पूरे नाम अन्य विकल्प के माध्यम से प्रविष्ट किया/किये जाने चाहिये।

7.10— खरीफ की फसलों के विवरण—पत्र में धान—जड़हन और धान भदई अलग—अलग दिखाये जाते हैं। इसलिये खसरे में धान की दोनों किस्मों को अलग—अलग दिखाया जाना चाहिये।

7.11— फसल के विवरण—पत्र में एक मिश्रित फसल "ज्वार अरहर" के नाम से दिखायी जाती है। यदि किसी खेत में ज्वार, अरहर, उर्द, लोभिया, तिल और सनई एक ही क्षेत्र में मिलाकर बोई गई हो तो खसरे में उसकी प्रविष्टि "ज्वार, अरहर" के नाम से की जानी चाहिये और गौण फसलों के नामों को लिखना आवश्यक नहीं है।

7.12— फसलों के विवरण—पत्र में एक फसल का नाम "गोजई" लिखा जाता है। यदि किसी खेत में गेहूं और जौ के साथ अलसी या सरसों भी बोई गई हो तो खसरे में उसकी प्रविष्टि केवल "गोजई" के नाम से होगी।

7.13— यदि किसी खेत के छोटे—छोटे टुकड़ों में भिन्न—भिन्न प्रकार की शाक, भाजियां बोई जायं तो उसे केवल "कछियाना" ही लिख देना चाहिये। यदि किसी खेत में मसाले बोये गये हों तो उसे "किराना—मसाला" लिख देना चाहिये।

7.14— किसी आम या अमरूद के बाग में कुछ पेड़ संतरे (citrus) के भी होते हैं किन्तु उसे "आम का बाग" या "अमरूद का बाग" ही दिखाया जाना चाहिये। गौण फसल का उल्लेख कभी नहीं करना चाहिये।

(8) <u>भाग—03</u>:— <u>स्तम्भ 21 से 26</u>— <u>दैवी आपदा व कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण</u> —

फसल	क्या दैवी आपदा में फसल को क्षति हुई है	दैवी आपदा का प्रकार	आपदा से प्रभावित क्षेत्रफल	क्षति का विवरण	कृषि अवशिष्ट निस्तारण (पराली जलायी गयी अथवा नहीं)
21	22	23	24	25	26

Scanned with CamScanner

8.1– स्तम्भ संख्या 21 से 25 में उस गाटा संख्या पर कमशः Drop down विकल्पों में से चुनकर यथा दैवी आपदा में फसल को क्षति, घटित दैवी आपदा का प्रकार (ओलावृष्टि, पाला, बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड (विधुत), अग्निकाण्ड (अन्य), जानवर (छुट्टा पशु), जानवर (जंगली), टिड्डी प्रकोप, अन्य), आपदा से प्रभावित क्षेत्रफल व क्षति का विवरण (33% से कम, 33% से 50%, 51% से 75% एवं 76% से 100%)तथा स्तम्भ संख्या 26 में कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण चुनकर अंकित किया जाना है।

(9) भाग–04:– स्तम्भ 27 व 28– वृक्षों का विवरण–

गाटों में वृक्षों की प्रजाति	गाटों में वृक्षों की संख्या
27	28

9.1– स्तम्भ संख्या 27 व 28 में Drop down के विकल्पों में से कमशः वृक्षों के प्रकार (यथा अमरुद, आंवला, आम, कटहल, केला, जामुन, पपीता, यूकेलिप्टस, लीची, शीशम एवं सागौन) व उनकी संख्या को प्रविष्ट किया जायेगा। यदि किसी खेत में वृक्षों के एक से अधिक प्रकार मौजूद हैं तो "वृक्ष जोड़ें" के माध्यम से वृक्षों के प्रकार व उनकी संख्या को को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि Drop down में किसी वृक्ष का नाम अंकित नहीं है तो उस वृक्ष का नाम भी जोड़ा जा सकता है।

(10) भाग–05:– स्तम्भ 29 से 34– गैर कृषिक भूमि का विवरण –

स्तम्भ 29–क्या भूमि अथवा उसका कोई भाग धारा 143 UP.Z.A.L.R.Act 1950/ धारा 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 के अकृषिक घोषित हुई है–हॉ/नहीं				
गैर कृषिक उपयोग का प्रकार	गैर कृषिक उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल	गैर कृषिक घोषित क्षेत्रफल	गैर कृषिक घोषित करने की वाद/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	गैर कृषिक घोषित करने के आदेश का दिनांक
30	31	32	33	34

10.1– स्तम्भ संख्या 30 में Drop down के विकल्पों में से भूमि के गैर कृषिक उपयोग के प्रकार (यथा पशुबाड़ा, ट्यूबवेल कक्ष, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक व अन्य आदि) की प्रविष्टि की जानी है तथा स्तम्भ संख्या 31 में गैर कृषिक उपयोंग में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल अंकित करना है।

10.2– स्तम्भ संख्या 32 से 34 में गैर कृषिक उद्घोषित भूमि के क्षेत्रफल, वाद संख्या व आदेश के दिनांक की प्रविष्ट की जानी है।

(11) भाग–06:– स्तम्भ 35 से 41– लीज का विवरण–

स्तम्भ 35– क्या भूमि अथवा किसी भाग को लीज/पट्टे पर दिया गया है– हॉ/नहीं					
पट्टे का प्रकार	क्षेत्रफल	पट्टा धारक का नाम	पट्टा धारक का पता	पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि	पट्टा समाप्तहोने की तिथि
36	37	38	39	40	41

Scanned with CamScanner

11.1– स्तम्भ संख्या 35 से 41 में राजस्व संहिता की धारा 94 के अन्तर्गत स्तम्भ संख्या 35 में **Drop down** के विकल्पों में से भूमि के पट्टे का प्रकार (यथा आसामी, वृक्षारोपण, मत्स्य, कुम्हारी कलां, निजी पट्टा (अनौपचारिक–01 वर्ष से कम), निजी पट्टा (औपचारिक–01 वर्ष से अधिक), सौर ऊर्जा या अन्य विशिष्ट औद्योगिक पट्टा, सीलिंग पट्टा, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, निष्कान्त संपत्ति, शत्रु संपत्ति, नजूल पट्टा व अन्य आदि) की प्रविष्टि की जानी है तथा निजी पट्टे पर उठाये जाने सम्बंधी अन्य विवरण यथा पट्टे का क्षेत्रफल, पट्टा धारक का नाम, पट्टा धारक का पता, पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि व पट्टा समाप्त होने की तिथि आदि की प्रविष्टी की जानी है।

(12) भाग–07:– स्तम्भ 42 से 45– दो फसली क्षेत्रफल व अकृषित भूमि का विवरण–

7 क–दो फसली क्षेत्रफल (भूमि जिसपर एक से अधिक फसलें बोयी गयी हों)		7 ख–अकृषित भूमि (ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसपर फसल नहीं बोयी गयी)	
असिंचित	सिंचित	भूमि का वर्ग	क्षेत्रफल हे0
42	43	44	45

12.1– स्तम्भ संख्या 42 व 43 में, 7क– दो फसली क्षेत्रफल अर्थात उन भूमियों का क्षेत्रफल अंकित किया जाना है जिन पर एक फसली वर्ष में एक से अधिक फसलें बोयी गयी हों। यह प्रविष्टि जायद की फसल में की जायेगी।

उदाहरण–दो फसली क्षेत्रफल (स्तम्भ 42 और 43) निकालने के लिये तीनों फसलों के खेती किये हुए क्षेत्रफल को जोड़ो और उसमें से खेत का खेती किया हुआ क्षेत्रफल घटा दो। इस प्रकार से जो दो फसली क्षेत्रफल निकलेगा वह उतना ही सिंचाई किया हुआ क्षेत्रफल समझा जायेगा जितना कि तीनों फसलों का सिंचाई किया हुआ कुल क्षेत्रफल खेत के सिंचाई किये हुए क्षेत्रफल से अधिक हो।

उदाहरण–दो हेक्टेअर के खेत में खरीफ की फसल में धान बोया गया और इसमें से एक हेक्टेअर में सिंचाई की गई। रबी की फसल में उन दो हेक्टेअर में से एक हेक्टेअर में जौं बोया गया और उसमें से एक हेक्टेअर में सिंचाई की गई।

अतएव–

दो फसली क्षेत्रफल.............

सींचा हुआ दो फसली क्षेत्रफल..............(खेत का वास्तव में सींचा हुआ क्षेत्रफल)..............

बिना सिंचाई वाला दो फसली क्षेत्रफल..................

12.2– इसी प्रकार स्तम्भ संख्या 44 व 45 में अकृषित भूमि से सम्बन्धित भूमियों का विवरण अर्थात जिन पर एक फसली वर्ष में एक भी फसल नहीं बोयी गयी हो, अंकित किया जाना है। यह प्रविष्टि भी जायद की फसल में की जायेगी। स्तम्भ 44 व 45 में जो प्रविष्टियां की जायेंगी उनके मिलान खसरे में दिये हुए अकृषित भूमि के वर्गों के अनुसार होंगे। इन प्रविष्टियों के लिये कुछ और महत्वपूर्ण अनुदेश निम्नानुसार हैं –:

Scanned with CamScanner

(क) ऐसी ऊसर भूमि (Barren land), जिसमें बहुत अधिक धन व्यय किये बिना खेती नहीं की जा सकती, खसरे के स्तम्भ 44 में में, "अन्यथा ऊसर या अकृषित" के रूप में दिखाया जायेगा।

(ख) इमारती लकड़ी के पेड़ों (timber tree) की ऐसी वन भूमि का क्षेत्रफल जो वन विभाग के प्रबन्ध में है (पूर्व निजी वन जो वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं को सम्मिलित करते हुए) खसरे के स्तम्भ 44 में दिखाया जायेगा। इस प्रकार ऐसे वनों को क्षेत्रफल, जो ग्राम पंचायत में निहित है, खसरे के स्तम्भ 44 में दिखया जायेगा। यदि ऐसे क्षेत्र के किसी भाग पर वास्तव में वन न लगा हो किन्तु खेती के किसी प्रयोजन के लिये काम में आता हो तो वह भाग कृषिक भूमि या अकृषिक भूमि के उपयुक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

(ग) अन्य वृक्षों, झाड़ियों के समूह व झाड़ियों आदि की ऐसी वन भूमि का क्षेत्र जो वन विभाग के प्रबन्ध में है (पूर्व निजी वन जो वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं, को सम्मिलित करते हुए) खसरे के स्तम्भ 44 में दिखाया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे वनों का क्षेत्र जो ग्राम पंचायत में निहित है, खसरे के स्तम्भ 44 में दिखाया जायेगा।

(घ) छप्पर की घासों और बांसों की भूमि का क्षेत्रफल खसरे के स्तम्भ 44 में दिखाया जायेगा। छप्पर छाने की घासों में सभी लम्बी घासें जैसे बेंत, नरकुल, पतवार, कांस, बैव इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ङ) पांच वर्ष से अधिक अवधि की समस्त परती भूमि और समस्त बंजर भूमि अर्थात ऐसी भूमि, जिसमें खेती की जा सकती है, किन्तु अभी तक कभी नहीं की गई है, खसरे के स्तम्भ 44 में लिखी जायेगी।

12.3– खतौनी के वर्ग (1) से (4) तक में आने वाले खातों से किसी खाते की अकृषित भूमि (Uncultivated land) की प्रविष्टि खसरे के स्तम्भ 45 में की जायेगी।

12.4– बाग भूमि और जलमग्न भूमि (स्तम्भ 44 और 45)– किसी ग्राम में किसी भूमि के विशेष टुकड़ों पर लगे हुए पेड़ उसी दशा में बाग के रूप में लिखे जायेंगे जब वे उस भूमि पर इतनी संख्या में लगा दिये गये हों कि उनके कारण या जब वे पूरे–पूरे तैयार हो जायेंगे तो उनके कारण वे भूमि या उसका कोई बड़ा भाग मुख्यतः किसी और काम में न लाया जा सके।

अच्छी किस्म (उन्नत प्रकार) के आम के पेड़ों या दूसरे फल वाले पेड़ों के बागों को, जो चाहे तुख्मी हों या कल्मी, केवल उनके फलों के लिए लगाये जाते हैं, दूसरे बागों से अलग करने के लिए स्तम्भ 44 में शब्द "बाग" के पहले शब्द "कल्मी" बढ़ा दिया जायेगा। ऐसे बागों को कृषित (cultivated) के रूप में दिखलाया जायेगा और क्षेत्र उस स्तम्भ 45 में दर्ज नहीं किया जायेगा, जिसमें शब्द "कृषित" (cultivated) होगा।

12.5– ऐसी भूमि को जो पहले बाग भूमि थी जिसे बोए गए क्षेत्र (sown) में नहीं शामिल किया गया, किन्तु अब उस पर पेड़ नहीं हैं और खेती की जाती है कृषित (खेती–पाती के) क्षेत्रफल के अन्तर्गत दिखाना चाहिऐ।

12.6– जब किसी बाग के जिसे बोए गए क्षेत्र (sown) में नहीं शामिल किया गया, पेड़ों के बीच में कोई फसल बोई गई हो तो शब्द "बाग" स्तम्भ 44 में लिखा जायेगा; किन्तु क्षेत्रफल स्तम्भ 45 में नहीं दिखाया जायेगा। उसमें केवल शब्द "कृषित" (cultivated)

Scanned with CamScanner

ही लिखा जायेगा और बोई हुई फसल और उसका क्षेत्रफल सुसंगत स्तम्भों में से किन्हीं उपयुक्त स्तम्भों में दिखाए जायेंगे। इसी प्रकार जब किसी जलमग्न भूमि पर सिंघाड़ा बोया गया हो तो शब्द ''जलमग्न'' स्तम्भ 44 में और शब्द ''कृषित'' स्तम्भ 45 में लिखे जाने चाहिये।

स्पष्टीकरण– (1) पेड़ों में बांस की कोठियां सम्मिलित हैं।

(2) ऐसी भूमि, जिस पर चाय के पौधे, गुलाब की झाडियां, पान की बेलें, केला और पपीता जैसी फसलें हो, परिलेख में कृषि भूमि के रूप में दिखाई जायेगी।

12.7– भू–राजस्व के संदाय से मुक्त बाग (स्तम्भ 45)–भूमिधरों के भू–राजस्व के संदाय से मुक्त समस्त बागों पर खसरे के स्तम्भ 45 में चिन्ह ''अ'' डाला जायेगा।

12.8– लेखपाल खसरे के स्तम्भ 44 में इस बात का उल्लेख करेगा कि किसी गाटे में इतनी अधिक कांस उग आई है कि उसमें खेती नही की जा सकती। इस दशा में भूमि की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा किन्तु भूमि की श्रेणी के आगे शब्द ''कांस'' बढ़ा दिया जायेगा।

12.9– परती भूमि (स्तम्भ 44)–जब किसी खेत में खेती न की जाय और उसकी भूमि की प्रकृति में कोई ऐसा परिवर्तन न हो जिसके कारण उपर्युक्त विनियम के अनुसार किसी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन करना पड़े तो स्तम्भ 44 में उस खेत के सामने लगातार तीन वर्षों तक क्रमशः पहले वर्ष में ''नई परती (1)'', दूसरे वर्ष में ''नई परती (2)'' और तीसरे वर्ष में ''नई परती (3)'' और उसके बाद लगातार दो वर्षों तक क्रमशः चौथे वर्ष में ''पुरानी परती (1)'' और पांचवे वर्ष में ''पुरानी परती (2)'' लिखा जायेगा। छठें वर्ष में इस खेत को ''कृषि योग्य बंजर'' लिखा जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन पिछले पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष में भूमि की प्रकृति में कोई और परिवर्तन न हुआ हो।

12.10– ईख की खेती के लिये तैयार की गई भूमि और पौध (बीजांकुर) लगी भूमि (स्तम्भ 44)–(1) ईख की खेती के लिये तैयार की गई भूमि अनिवार्य रूप से स्तम्भ 44 में दिखाई जानी चाहिये, किन्तु वह ''ईख के लिये तैयार की गई भूमि के रूप में लिखी जानी चाहिये'', ''परती'' के रूप में नहीं।

12.11– पौध (बीजांकुरों) की भूमि, जिस पर उसी वर्ष में फिर कोई और फसल नहीं बोयी गई हों, ''पौध'' के रूप में लिखी जानी चाहिये, ''परती'' के रूप में नहीं।

(13) भाग–08:– स्तम्भ 46 – विशेष विवरण –

8–विशेष विवरण
46

स्तम्भ संख्या 46 में उपरोक्त के अतिरिक्त, गाटे से सम्बंधित किसी अन्य विवरण को अंकित करना है।

(14) **अन्य महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश :–**

(14.1) लेखपाल समस्त प्रविष्टियों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी है और उसे सम्बद्ध व्यक्तियों से पूछताछ करके और खेतों के निरीक्षण द्वारा तथ्यों के संबंध में अपना समाधान अवश्य कर लेना चाहिये।

(14.2) खसरे में प्रविष्टी के समय होने वाली किसी लिपिकीय त्रुटि को संशोधन बटन के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

(14.3) उल्लेखनीय है कि अगली फसल की प्रविष्टी प्रारम्भ करने के पश्चात पूर्व की फसल कर प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है।

(14.4) प्रत्येक ग्राम के लिये एक पृथक खसरा तैयार किया जायेगा। जब दो या अधिक लेखपाल एक ही शजरे को काम में लाते हों तो प्रत्येक लेखपाल को शजरे की प्रविष्टी हेतु अधिकृत किया जायेगा और प्रत्येक लेखपाल उन संख्याओं के संबंध में, जो उसके लिये निर्धारित की जाय, एक पृथक खसरा तैयार करेगा।

(14.5) यदि कछारी ग्रामों के कछारी भागों के संबंध में उनके शेष भागों से पृथक संख्यायें डाली गई हों तो कछारी भाग के संबंध में एक पृथक खसरा तैयार किया जायेगा।

(14.6) यदि ग्राम में कोई ऐसा क्षेत्र हो, जिस पर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू न रहा हो, तो उस क्षेत्र के संबंध में एक पृथक खसरा अध्याय क–5 के नियमों के अनुसार तैयार किया जायेगा।

(14.7) कछार क्षेत्र और जलप्लावित क्षेत्र– यदि किसी ग्राम में कछार या किसी और कारण से नई भूमि आ मिले तो खेतों की क्रम–संख्यायें बढ़ा दी जायेगी और नई भूमि के संबंध में नई संख्यायें डाली जायेगी। यदि जल प्लावन के कारण भूमि घट (जलमग्न हो) जाय तो, इस संबंध में एक टिप्पणी जितनी भूमि कम हो गई है, उसके क्षेत्रफल सहित विशेष विवरण के स्तम्भ जलप्लावित खेतों के सामने लिख दिया जायेगा।

(14.8) राजस्व निरीक्षक का दौरा–लेखपाल भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष तथा ग्राम के समस्त खातेदारों को, राजस्व निरीक्षक के ग्राम में उपस्थित होने के दिनांक की सूचना देगा तथा उनसे यह भी निवेदन करेगा कि वह राजस्व निरीक्षक द्वारा खेतों की पड़ताल किये जाने के समय प्राप्त रहें। वह ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर एक ऐसी सूचना लगा देगा, जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा उस ग्राम का दौरा करने का दिनांक सूचित किया गया हो अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति सूचना की प्रतिलिपि पर यह प्रमाणित करेगा कि राजस्व निरीक्षक के कार्यक्रम का विज्ञापन ग्राम के खातेदारों में व्यापक रूप से कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक ग्राम में पहुंचने पर सूचना की यह प्रतिलिपि ले लेंगे।

(14.9) लेखपाल द्वारा हर फसल की प्रविष्टि किसी ग्राम की पड़ताल के समाप्त होने पर बन्द कर दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

(14.10) भाग–3 दैवी आपदा में कोई भी प्रविष्टि होते ही तहसीलदार, उपजिलाधिकारी व जिलाधिकारी को स्वयं ही एक एलर्ट मैसेज जायेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार खसरे को आनलाइन भरे जाने के लिए सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देश जारी करने के साथ ही समग्र रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, कृषि सांख्यिकी, उ0प्र0, लखनऊ।

12/12/2021

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

Scanned with CamScanner